5

बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०–स्था०1/वि०3–81/2014 294 पटना, दिनांकः 22/11/19

कार्यालय आदेश

श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बायसी प्रखंड, पूर्णियॉ संप्रति प्रतिनियुक्त राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध जिला पदाधिकारी पूर्णियॉ के ज्ञापांक–1889 दिनांक–15.10.2014 द्वारा गठित आरोपों के लिए निदेशालय के का०आ०सं०–243 सहपठित ज्ञापांक–1621 दिनांक– 01.10.2015 द्वारा आरोप प्रपत्र 'क' गठित करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। उक्त विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच),पूर्णियॉ को संचालन पदाधिकारी तथा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पूर्णियॉ को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

2. श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बायसी प्रखंड, पूर्णियॉ पर अनुमंडल पदाधिकारी, बायसी के निरीक्षण प्रतिवेदन पर कार्रवाई नहीं करने, सरकारी कार्यो के प्रति शिथिलता एवं उदासीनता बरतने एवं पदस्थापन काल के दौरान बरती गयी अनियमितताओं को छिपाने का कुप्रयास करने का आरोप गठित है।

3. अपर समाहर्त्ता, विभागीय जॉच–सह–भू–हदबंदी, पूर्णियॉ के द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालन के उपरान्त पत्रांक–395/वि०जॉच दिनांक–25.10.216 के द्वारा जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। अपर समाहर्त्ता, विभागीय जॉच–सह–भू–हदबंदी ने अपने जॉच प्रतिवेदन में निम्न मंतव्य दिया है:–

" अनुमंडल पदाधिकारी के निरीक्षण टिप्पणी के अनुपालन का दायित्व निम्नांकित तीनों पदाधिकारियों का था :–

i. श्री नीरज कुमार दास दिनांक 28.08.2010 से 31.08.2010 प्रखंड तक विकास पदाधिकारी, बायसी।

ii. श्री जितेन्द्र कुमार सिंह दिनांक 01.09.2010 से 05.09.2010 तक प्रखंड विकास पदाधिकारी बायसी।

iii. श्री मनोज कुमार सिंह दिनांक 06.09.2010 से 08.07.2011 तक प्रखंड विकास पदाधिकारी, बायसी।

(उपर्युक्त पदस्थापन अवधि प्रखंड विकास पदाधिकारी, बायसी के पत्रांक–971 दिनांक–18.06.2016 से आरोपी कर्मी द्वारा अपने प्रतिउत्तर में कहा गया है कि दिनांक 01.09.2010 को योगदान करने के बाद कार्यालय प्रधान के रूप में केवल 05 कार्य दिवस का समय मिला तथा इस अवधि में संबंधित लिपिक/प्रधान लिपिक द्वारा निरीक्षण टिप्पणी इनके समक्ष अनुपालन हेतु प्रस्तुत ही नहीं किया गया है।)

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी के विरूद्ध लगाया गया आरोप स्पष्ट रूप से प्रमाणित नहीं होता है।"

0109स्था0 1(का0 आ0) (20 नबंवर 2019) जितेन्द कुमार सिंह.

मदि०३

4. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन में श्री जितेन्द्र कुमार सिंह पर आरोप प्रमाणित नहीं होने के प्रतिवेदन पर जिला पदाधिकारी, पूर्णियॉ से माँगा गया मंतव्य उनके पत्रांक–1220/स्था० दिनांक–19.10.2019 द्वारा प्राप्त हुआ है। जिला पदाधिकारी, पूर्णियॉ का मंतव्य निम्नवत् है :–

" अनुपालन हेतु निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने की तिथि (25.08.2010) के पश्चात आरोपी पदाधिकारी केवल 05 दिनों के लिए ही (01.09.2010 से 06.09.2010) तक प्रभार में थे, अतः अनुपालन की जिम्मेवारी हेतु दोषी ठहरना उचित नहीं होगा।

संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से अधोहस्ताक्षरी सहमत ।"

5. उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन एवं उस पर जिला पदाधिकारी से प्राप्त मंतव्य से सहमत होते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बायसी प्रखंड, पूर्णियॉ संप्रति प्रतिनियुक्त राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को भविष्य में अपने कार्यो के प्रति सचेष्ट रहने की चेतावनी देते हुए आरोप से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

6. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बायसी प्रखंड, पूर्णियॉ संप्रति प्रतिनियुक्त राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को भविष्य में अपने कार्यो के प्रति सचेष्ट रहने की चेतावनी देते हुए आरोप से मुक्त करते हुए विभागीय कार्यवाही को निष्पादित किया जाता है।

ह०/–
राजेश्वर प्रसाद सिंह
निदेशक

ज्ञापांकः– स्था०1/वि०3–81/2014 2200 पटना, दिनांकः 27-11-19

प्रतिलिपिः–सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

2. अपर सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पूर्णियॉ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. जिला कोषागार पदाधिकारी, पूर्णियॉ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेशालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
7. श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, कनीय सांख्यिकी सहायक, प्रतिनियुक्त राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक 26/11

0109स्था० 1(का०आ०) (20 नबंवर 2019) जितेन्द कुमार सिंह.

" जन्म हो या मरण, जरूरी हैं पंजीकरण"